न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 134 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/107)
पंजीयन दिनांक– 01.03.2021
निर्णय दिनांक– 22.04.2021

1. श्री चतरसिंह पिता रतनसिंह, निवासी सरदारपुरा, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री भंवर सिंह पिता उदयसिंह राजपुत, निवासी सरदारपुरा, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौपगढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः– (बवक्त बहस)
1. श्री तारेश्वर मोड –अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री एच. आर. बंजारा –अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, भूपालसागर के प्रकरण
संख्या–19 / 2017 निर्णय दिनांक 04.03.2020

निर्णय

दिनांक 22.04.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, भूपालसागर के प्रकरण संख्या 19 / 2017 निर्णय दिनांक 04.03.2020 के विरूद्ध दिनांक 26.02.2021 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी गोदमाता मु. लक्ष्मण कंवर बेवा रतन सिंह राजपूत, निवासी सरदारपुरा के ग्राम बालद में स्थित आराजी नम्बर 113, 114 एवं 115 किता 3 रकबा 1.08 हैक्टेयर को अपने नाम पर गोदपुत्र होने के आधार पर नामांतरण दर्ज करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उपरोक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच खारिज करते हुए उपरोक्त आराजीयात को रेस्पोडेंट के नाम से नामांतरण निर्णित करने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.03.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित हैः— *''हमने पत्रावली पर उपलब्ध दसतावेज, रिपोर्ट पटवारी, गोदपत्र, वसीयत पत्र बयान आदि का गहनता से अध्ययन व मनन किया। श्रमती लक्ष्मणकुंवर बेवा रतनसिंह राजपूत निवासी सरदारपुरा की दिनांक 06.03.2012 को लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रताणपत्र संलग्न पत्रावली है। रतनसिंह पिता मोडसिंह द्वारा चतरसिंह पिता भंवरसिंह को गोदपत्र करवाया जिसमें लक्ष्मणकुंवर की सहमति के हस्ताक्षर नही है जबकि उसे दत्तक माता बताया गया है तथा गोद देने वाली प्राकृतिक माता की सहमति भी गोदपत्र पर नहीं है। अतः लक्ष्मणकुंवर द्वारा चतरसिंह को गोद रखाना उपलब्ध दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है तथा लक्ष्मणकुंवर बेवा रतनसिंह राजपूत निवासी सरदारपुरा द्वारा भंवरसिंह पिता उदयसिंह के पक्ष में की गई वसीयत में दर्ज गवाहों द्वारा वसीयत उनके सामने होना तथा गवाह के रूप में हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। लक्ष्मणकुंवर द्वारा की गई यह अंतिम वसीयत थी एवं वसीयत पत्र अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही की जाने में कोई वैधानिक त्रुटि प्रतित नहीं होती न ही वसीयत नामे पर संदेह का कोई कारण विद्यमान है। अतः वसीयतपत्र अनुसार मृतक श्रीमती लक्ष्मणकुंवर बेवा रतनसिंह राजपूत निवासी सरदारपुरा के नाम ग्राम बालद में दर्ज कृषि भूमि आराजी नम्बर 113, 114 एवं 115 किता 3 रकबा 1.08 हैक्टेयर को वसीयत पत्र अनुसार श्री भंवरसिंह पिता*

उदयसिंह राजपूत के नाम नामांतरकरण की कार्यवाही की जाने का निर्णय पारित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु पटवार हल्का को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें''

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तारेश्वर मोड उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एच. आर. बंजारा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.03.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि प्रकरण में प्रश्नगत कृषि आराजीयात पुश्तेनी है और ऐसी रिपोर्ट पटवारी हल्का बुल, तहसील भूपालसागर के अनुसार रतनसिंह ने वर्तमान अपीलांट चतर सिंह को पंजीकृत गोदनामे के माध्यम से पुत्र के रूप में स्वीकार किया था और चतर सिंह के वास्तविक पिता ने गोदनामे के समय चतर सिंह की उम्र कम होने के कारण उसे रतन सिंह को गोद दिये जाने का तथ्य स्वीकार करते हुए एक स्टाम्प लिखकर दिया था। रेस्पोडेंट की और से राज्य बनाम चतर सिंह मुकदमा की प्रति पेश की गई है उसमे भी चतर सिंह के भाई पप्पु सिंह पिता भंवर सिंह एवं चतर सिंह के पिता भंवर सिंह पिता मोड सिंह ने अभियोजन साक्ष्य के रूप में अपने बयान न्यायालय के समक्ष दिये और उन बयानो में चतर सिंह को रतन सिंह के गोदपुत्र के रूप में इन दोनो ही महत्पूर्ण साक्षीगण ने इस संबंध में अपनी मौखिक साक्ष्य दी है इस प्रकार अब रेस्पोडेंट भंवर सिंह उसके स्वयं के न्यायालयों में किये गये कथनों से विपरीत उसने चतर सिंह को गोदपुत्र नही होने का कथन वर्तमान अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया है और कथन धारा 115 साक्ष्य अधिनियम से भी

प्रतिबंधित है। प्रस्तुत मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत गोदनामे के तथ्य को अस्वीकार करने का जो निर्णय पारित किया है वह भी विधि सम्मत नही है क्योंकि रेसपोडेंट ने जिस तथाकथित वसीयत के आधार पर रतन सिंह की पुश्तेनी कृषि आराजीयात के संबंध में नामांतरण चाहा है वह वसीयत ही अपने आप में पुरी तरह से संदेहास्पद है। प्रथम महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त वसीयत को किस दिन निष्पादित किया गया है ऐसा कही अंकन नहीं है। दुसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मु. लक्ष्मण कंवर बेवा रतन सिंह जो की निवासी सरदारपुरा, तहसील भूपालसागर की है। उसने तथाकथित वसीयत के लिए स्टाम्प उदयपुर से उक्त मामले में लिया है जिससे वसीयत के सभी तथ्य असत्य है। हो जाते है और उक्त वसीयत इस कारण संदिग्ध व संदेहास्पद हो जाती है। प्रस्तुत मामले में अपीलांट को रतन सिंह द्वारा गोद लिया गया था। इस आधार पर भी रतन सिंह की खातेदारी की प्रश्नगत आराजीयात में उसका हिस्सा पंजीकृत गोदनामे के आधार पर स्वीकृत है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने लक्ष्मण कंवर को रतन सिंह की संपत्ति की एकल स्वामिनी मानकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। उपरोक्त प्रकरण में जो दस्तावेज अपीलांट की और से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है उनका अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित तरीके से नही किया है और अपंजीकृत अमुद्रांकित संदिग्ध वसीयत को आधार मानकर भंवर सिंह को लक्ष्मण कंवर की आराजीयात के संबंध में उसके पक्ष में नामांतरकरण निर्णित करने की विधिक भूल की गई, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि कृषि आराजीयात पुश्तनी है और रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात् भी उसके नामांतरकरण का निस्तारण विधि सम्मत तरीके से नही किया गया है तत्पश्चात् रेस्पोडेंट भंवर सिंह ने मृतका लक्ष्मण कंवर के निवास स्थान से किसी दुर स्थान से फर्जी स्टाम्प की व्यवस्था कर उक्त वसीयत को बनाया है जिस पर वसीयत निष्पादन की तिथी भी अंकित नहीं है। पंजीकृत गोदनामा

अपीलांट के पक्ष में निर्णित किया गया है वह रेस्पोडेंट अथवा किसी प्रभावित पक्षकार के द्वारा सक्षम न्यायालय से निरस्त नही कराया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज अखण्डनीय है और उसके मुकाबले जो वसीयत तथाकथित रूप से विपक्षी के द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत की गई है व संदिग्ध है ओर अपंजीकृत होकर अमुद्रांकित है। जिसका कोई साक्ष्यीक मुल्य नही है और अधीनस्थ न्यायालय उक्त दस्तावेज के आधार पर उक्त नामांतरकरण निर्णित किये जाने की विधिक भूल की है। रतन सिंह द्वारा चतर सिंह को गोद लिये जाने के समय राजपूत समुदाय के पुरूष पंचो की उपस्थिति में महिलाओ का आना वर्जित रहता है इसी कारण प्रस्तुत मामले में गोदनामे के निष्पादन के समय लक्ष्मण कंवर के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इस प्रकार भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि स्व. श्री रतन सिंह पिता मोड़सिंह राजपूत रिस्ते में रेस्पोडेंट के चाचा (काका) लगते थे। स्व. रतन सिंह के कोई जाईन्दा पुत्र/पुत्रियां नहीं थे। रतन सिंह का लगभग 16 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था। उनकी पत्नि मेरे चाची (काकी) लगती है, लक्ष्मणकुंवर की भी दिनांक 06.03.2012 को मृत्यु हो गई थी। स्व. रतन सिंह द्वारा मेरे पुत्र श्री चतर सिंह को गोद रखा था। चतरसिंह मेरे एवं स्व. रतनसिंह के पास ही रहता था। चतर सिंह को 03 वर्ष की आयु में ही गोद रखा एवं 25 वर्षो तक सभी की सेवा मेरे द्वारा की गई थी। गोद पत्र पर सभी समाज के राजपूत पंचो के हस्ताक्षर है परंतु रामसिंह पिता मोडसिंह के हस्ताक्षर नहीं है। वर्तमान में लक्ष्मण कुंवर पत्नि रतन सिंह के नाम जो जमीन है वह उनकी खरीदी हुई है। रतन सिंह के विरासत की जो भूमि है, वह चतर सिंह के नाम थी। चतर सिंह द्वारा सेवा नहीं करने से लक्ष्मण कुंवर द्वारा चतरसिंह के नाम की भूमि की वसियत रेस्पोडेंट के नाम करा दी जो सही है। लक्ष्मण कुंवर की सेवा रेस्पोडेंट द्वारा की गई। लक्ष्मण कुंवर की मृत्यु होने पर सारा

क्रियाकर्म रेस्पोडेंट द्वारा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायलय के निर्णय पर गुणावगुण पर अपील निस्तारित की जाए।

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.05.2020 को हुआ है जिसकी अपील इस न्यायालय में 26.02.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट के दिये गये शपथ–पत्र, दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन व कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत उक्त प्रकरण में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपील मेमों, अधीनस्थ न्यायालय एवं लिखित एवं मौखिक बहस में उठाये गये उजरात व गुणावगुण के आधार पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में मूलतः विवाद अपीलाण्ट चतरसिंह, व उसके पिता भंवरसिंह के मध्य है। यह विवाद मूलतः लक्ष्मण कुंवर जो कि रतनसिंह की पत्नी है, उसकी भूमियों के उत्तराधिकार/वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित है। प्रकरण में मुसम्मात् लक्ष्मण कुंवर भंवरसिंह की काकी/चाची है तथा अपीलाण्ट चतरसिंह की चचेरे दादा की पत्नी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट चतरसिंह द्वारा स्वयं को रतनसिंह का गोद पुत्र होने के कारण दत्तक माता लक्ष्मण कुंवर की विवादित आराजीयात को विरासत से गोद पुत्र होने के नाते उसके नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया, इसके विपरीत उसके पिता भंवरसिंह द्वारा अपनी काकी/चाची के अपंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर उक्त भूमियों को अपने नाम दर्ज करने का अनुरोध किया। अब हम इस प्रकरण में उभय पक्षों के दावों के सन्दर्भ में विधिक स्थिति का विवेचन करना उचित समझते हैं। किसी भी व्यक्ति के उत्तराधिकार के संबंध में या

तो प्राकृतिक उत्तराधिकार होता है जो उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार उस पर लागू होता है, यह तभी प्रभाव में आता है जबकि किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत नहीं कर दी गयी हो। इस प्रकरण में प्राकृतिक उत्तराधिकार के सन्दर्भ में विवेचन करने पर यह प्रकट आता है कि रतनसिंह द्वारा चतरसिंह को गोद लिये जाने का पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध है एवं स्वीकृत है परन्तु उक्त गोदनामे पर जिसकी विरासत वह प्राप्त करना चाहता है अर्थात् रतनसिंह की पत्नी की लिखित सहमति नहीं है। हालांकि गोदनामे में यह अवश्य अंकित है कि ''मैंने तथा मेरी पत्नी ने उचित लड़के चतरसिंह को बचपन से लाड़–प्यार से पाला–पोसा है व बढ़ा किया है तथा मैंने व मेरी पत्नी ने श्री भंवरसिंह पिता उम्मेदसिंह व भंवरसिंह की पत्नी से चतरसिंह को गोद देने का मांग की और उन्होंने स्वीकार किया।'' उक्त गोदनामे पर लक्ष्मण कुंवर के हस्ताक्षर नहीं है, सिर्फ रतनसिंह के हस्ताक्षर है। हिन्दू उत्तराधिकार अडोपशन एवं मेन्टेनेंस एक्ट 1956 की धारा 7 के अनुसार यह वांछनीय होता है कि किसी हिन्दू को अपनी पत्नी के जीवित होने पर उसकी सहमति के आधार पर ही गोद पुत्र रखने का अधिकार है। इस प्रकरण में यह सर्वाधिक प्रासांगिक इसलिए है कि लक्ष्मण कुंवर की सम्पत्ति की विरासत का प्रश्न है, जिसकी गोदनामे के लिए स्वयं द्वारा सहमति नहीं दी गयी है तथा रतनसिंह द्वारा गोदनामा निष्पादित किया गया है तो उक्त गोदनामे से नैसर्गिक न्याय एवं उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 7 के अनुसार लक्ष्मण कुंवर का अपीलाण्ट चतरसिंह को गोद पुत्र होना माना जाना विधिक नहीं होगा। यहां यह भी विवेचनीय है तथा प्रासांगिक है कि क्या अपीलाधीन विवादित भूमियां लक्ष्मण कुंवर को उसके पति रतनसिंह जिसने चतरसिंह को गोद लिया, उससे प्राप्त हुई हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है जिसे सिद्ध करने का दायित्व अपीलाण्ट का था अर्थात् रेकर्ड से अथवा साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त सम्पत्तियां लक्ष्मण कुंवर की स्वःअर्जित नहीं हो अथवा उसे यह सम्पत्तियां रतनसिंह से प्राप्त हुई हो। यदि

ये भूमियां क्षण मात्र के लिए रतनसिंह की होती तो भी अपीलाण्ट चतरसिंह के लिए कुछ विचारणीय प्रश्न हो सकता था परन्तु इस प्रकरण में उक्त भूमियां लक्ष्मण कुंवर की ही होने के अलावा अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में लक्ष्मण कुंवर का गोद पुत्र अपीलाण्ट को मानकर उसकी सम्पत्ति को उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार अपीलाण्ट चतरसिंह के नाम नामान्तकरण किये जाने का विवेचन तर्कसंगत एवं विधिपूर्ण इस स्तर पर नहीं है। जैसाकि हम आगे उसके पिता भंवरसिंह को लक्ष्मण कंवर से की गयी वसीयत का विवेचन करेंगे।

अब हम रेस्पोंडेण्ट भंवरसिंह के प्रकरण पर विचार करना उचित समझते हैं। रेस्पोंडेण्ट भंवरसिंह के पक्ष में लक्ष्मण कुंवर द्वारा वसीयत किया जाना स्पष्ट है एवं वसीयत के दो गवाहान हरिसिंह व भेरा ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वसीयत के निष्पादन किये जाने की तस्दीक की है। किसी भी वसीयत का वह अपंजीकृत है तो तस्दीककर्ता दोनों गवाहान के बयान के बाद उक्त वसीयत को अविधिक नहीं माना जा सकता। इस वसीयत को अविधिक माने जाने के लिए अपीलाण्ट यह तर्क देता है कि यह स्टाम्प उदयपुर से क्रय किया गया है एवं स्टाम्प पर तिथि अंकित नहीं है। हम अपीलाण्ट के उपरोक्त दोनों तर्कों से सहमत नहीं है। यदि तिथि अंकित नहीं है या स्टाम्प उदयपुर से क्रय किया गया है, इससे वसीयत को संदिग्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि वसीयत के दानों गवाहान द्वारा अभिव्यक्त रूप से उक्त वसीयत के निष्पादन होने को स्वीकार किया है। जैसाकि हमारे द्वारा उपर विवेचन किया गया है, उक्त भूमि लक्ष्मण कुंवर की स्वःअर्जित नहीं होने की कोई साक्ष्य नहीं है, अतएवं उसकी स्वःअर्जित सम्पत्ति की उसके द्वारा की गयी वसीयत जो गवाहान से साबित है, उसे नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट द्वारा सेशन न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के सेशन प्रकरण संख्या 32/2012 निर्णय दिनांक 12.05.2014 की प्रमाणित नकल भी पेश की है जिसे हम सिर्फ सन्दर्भ के लिए उद्धृत करना

उचित समझते हैं जिसमें अपीलाण्ट चतरसिंह को मुसम्मात् लक्ष्मण कुंवर की हत्या के आरोप में उसके विरूद्ध दफा 302 भां.दं.सं. की कार्यवाही चलने के बाद उक्त निर्णय से उसे सन्देह का लाभ देकर बरी किया गया है। अपीलाण्ट को उक्त लक्ष्मण कुंवर की हत्या के आरोप मे सन्देह का लाभ देकर बरी किया गया है, अतएवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 जिसमें हत्यारे को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होना, इस प्रकरण में लागू नहीं होता, न ही इस प्रकरण मं जैसाकि हमारे द्वारा उपर विवेचन किया गया है कि लक्ष्मण कुंवर को विधिक गोद पुत्र होना भी चतरसिंह विधिक रूप से प्रमाणित नहीं है फिर भी हम सन्दर्भ के लिए इसे विवेचित करना उचित समझते हैं। माननीय सेशन न्यायालय के आपराधिक प्रकरण की उक्त वर्णित निर्णय से न्यायालय किसी प्रकार की पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना उक्त विवेचन वर्णित कर रहा है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आख्यापक निर्णय से मृतक लक्ष्मण कुंवर की सम्पत्ति को वसीयत के आधार पर जो भंवरसिंह के नाम नामान्तकरण किये जाने का आदेश दिया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर